भारत सरकार
पर्यावरण,वन एवंम जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
उत्तर क्षेत्रीय कार्यालय

बेज़ नम्बर 24-25
दक्षिण मार्ग, सेक्टर 31 ऐ
चण्डीगढ़-160030

F.No. -: 9-HRB063/2015-CHA दिनांक: 27.10.2015

सेवा में,

प्रधान सचिव (वन),
हरियाणा सरकार,
हरियाणा सिविल सचिवालय,
चण्डीगढ-160001

विषय:- **Diversion of 0.0071 ha. of forest land for access to retail outlet of Essar Oil Ltd. along Ratia-Alikan road, Km. 6-7, R/side, at village Lahli, under Forest Division and District Fatehabad, Haryana.**

संदर्भ:– 1 प्रधान सचिव वन के पत्र कमांक 170-**va**-5-2015/14236 दिनांक 05.08.15

2 नोडल आफिसर एवं वन सरक्षक (**FC**) के पत्र संख्या प्रशा-डी-तीन 6328/4444 दिनांक **23.10.15**

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय से संदर्भाकित पत्र का अवलोकन करें जिसमें वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा-२ के अधीन अनुमति मांगी गई है।

2 राज्य सरकार के प्रस्ताव का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने के पश्चात उपर्युक्त विषय हेतु 0.0071 हेक्टेयर वन भूमि के उपयोग के लिए **स्वीकृति** निम्नलिखित शर्तो को पूरी करने पर प्रदान की जाती है।

i. वन भूमि की विधिक परिस्थिति बदली नहीं जाएगी।
ii. राज्य सरकार के प्रस्तावानुसार पैट्रोल पम्प के प्रवेश एवं निकास के लिए 6 मीटर चौडा रास्ता दिया गया है।
iii. प्रस्ताव के अनुसार कोई पौधा बाधक नहीं है परन्तु 03 वृक्ष बाधक हैं जो कटवायें जायेगें।
iv. **प्रतिपूर्ति पौधारोपण प्रस्ताव के अनुसार Bhattu-Ramsara road Km 2-12 L&R/side,** पर प्रयोक्ता एजेंसी से प्राप्त 19,425 रूप्ये ***(Rupees Nineteen Thousand Four Hundred & Twenty Five Only)*** की राशि से 30 पौधे लगाकर किया जायेगा। **प्रतिपूर्ति पौधारोपण इस पत्र के जारी होने की तिथि से एक वर्ष के अन्दर हो जाना चाहिए।**
v. प्रतिपूर्ति पौधारोपण के साथ–साथ उपयुक्त पौधारोपण पहुँच मार्ग, विभाजन द्वीप व अन्य खाली स्थान पर प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वर्तमान विनियमों के अनुसार किया जायेगा।
vi. प्रवेश एवं निकास को छोडकर बाकी हिस्से पर कुछ बुटेदार तथा सजावटी पेड पौधे लगाये जाने चाहिये तथा इस भूमि का कोई व्यापारिक प्रयोग नही होना चाहिये और न ही इस पर कोई निर्माण कार्य होना चाहिये।
vii. यह अनुमति 15 वर्षो के लिए अर्थात् 26 अक्तूबर, 2030 तक वैध होगी, इसके उपरान्त पुनः यह अनुमति भारत सरकार से प्राप्त करनी होगी।
viii. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 11.07.2014 को जारी दिशा–निर्दोशों का पालन अवश्य किया जाए।
ix. पेट्रोल पम्प की पूरी परिधि (Periphery) पर दिवार से 1.5 मीटर जगह छोडकर 1.0 से 1.5 मीटर के अन्तराल पर Light Crown पेडों का वृक्षारोपण किया जाये।
x. वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिये नहीं किया जायेगा।

xi. Supreme Courtके आदेशानुसार जब कभी भी की राशी बढाई NPVजायेगी तो उस बढ़ी हुई की NPV राशि को जमा करने के लिए प्रयोक्ता एजेंसी बाध्य होगी

xii. साथ लगते वन और वन भूमि को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पंहुचाया जायेगा और साथ लगते हुए वन और वन भूमि को बचाने के लिये सभी प्रयत्न किये जायेंगे|

xiii. स्थानान्तरण के लिए प्रस्तावित वन भूमि को केंद्रीय सरकार की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी परिस्तिथि में किसी अन्य एजेंसी, विभाग या व्यक्ति विशेष को हस्तांतरित नहीं किया जायेगा |

xiv. केंद्रीय सरकार की अनुमति के बिना प्रस्ताव की ले आउट प्लान को बदला नहीं जायेगा |

xv. वन भूमि पर किसी भी प्रकार का कोई श्रमिक शिविर नहीं लगाया जायेगा |

xvi. प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वांछित भूमि संरक्षण पैमाने उपयोग किये जायेंगे, जिसके लिए प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वर्तमान दरों पर धनराशी उपलब्ध करायी जायेगी |

xvii. प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा श्रमिकों तथा कार्यस्थल पर कार्यरत स्टाफ को अधिमानत: वैकल्पिक इंधन उपलब्ध करायेगी, ताकि साथ लगते वन क्षेत्र को किसी प्रकार के नुकसान तथा दवाव से बचाया जा सके |

xviii. प्रयोक्ता एजेंसी राज्य के मुख्य वन्य जीव संरक्षक द्वारा तैयार की गयी योजना के अनुसार उस क्षेत्र के वनस्पति और प्राणी समहू के संरक्षण तथा परिरक्षण में राज्य सरकार की सहायता करेगी |

xix. स्थानांतरित वन भूमि की सीमायें आगे तथा पीछे लिखे गये क्रम संख्या वाले 4 फीट ऊँचे सीमेंट के खम्बों द्वारा चिन्हित की जाएगी |

xx. कूड़ा कर्कट निपटान वन विभाग द्वारा जारी योजना के अनुसार किया जायेगा |

xxi. अन्य कोई भी शर्त इस क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा वन तथा वन्य जीवों के संरक्षण, सुरक्षा तथा विकास हेतू समय –समय पर लगाई जा सकती है |

xxii. प्रयोक्ता एजेंसी उपरोक्त शर्तो की वार्षिक स्व-अनुपालना रिपोर्ट राज्य सरकार तथा इस क्षेत्रीय कार्यालय को नियमित रूप से भेजेगी |

xxiii. यदि कोई अन्य सम्बंधित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार की जिम्मेवारी होगी ।

3. मन्त्रालय इस स्वीकृति को स्थगित/रद्द कर सकता है यदि उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का कार्यान्वयन सन्तोषप्रद नहीं है। राज्य सरकार वन विभाग के माध्यम से इन शर्तों का पालन सुनिश्चित करेगा।

भवदीय

हर्ष मित्र
27.10.15

(डा. हर्ष मित्र)

अति. प्र. मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय)

प्रतिलिपि:-

1. Ministry of Environment, Forest & Climate Change Indira Paryavaran Bhavan Jor Bagh Road Aliganj, New Delhi-110 003.
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हरियाणा सरकार, C-18, वन भवन सैक्टर 6, पंचकुला हरियाणा।
3. Divisional Forest Officer, Forest Division and Distt. Fatehabad, Haryana.
4. Divisional Manager, Essar Oil Limited. A-5, Sector 3, Noida.